संख्या- 23/2019/106 ई-2/तेरह-2019-69/2011

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 फरवरी, 2019

विषयः- अनुमन्य क्षमता के अन्तर्गत ई0एन0ए0 क्रय कर पेय मदिरा निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-92/दो-प्रा0डी0-101/वेव डिस्टी0, दिनांक 04 दिसम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या-जी-108/दो-प्रा0डी0-101/ वेव डिस्टी0, दिनांक 10 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्वहित में मेसर्स वेव डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि0, अहमदपुर, अतरौली, अलीगढ़ को शासनादेश सं0-14/1459ई-2/तेरह-2014-51/2005 दिनांक 16.09.2014 द्वारा स्वीकृत पेय क्षमता 360 लाख ली0 वार्षिक हेतु आसवनी की वर्तमान उत्पादन क्षमता 270 लाख ली0 वार्षिक के अन्तर्गत उत्पादित स्प्रिट के अतिरिक्त शेष सुरासव को बाहर से क्रय कर पेय मदिरा उत्पादन हेतु दी गई अनुमति को आगामी एक वर्ष तक इस प्रतिबन्ध के साथ बढ़ाया जाता है कि आसवक 10 लाख रूपये की बैंक गारण्टी जमा करेंगे जिसे पर्ट चार्ट दिनांक 11.07.2018 के अनुसार परियोजना की दिनांक 31.10.2019 तक लक्षित भौतिक प्रगति को ससमय सुनिश्चित न कराने की दशा में जब्त कर लिया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in